संख्या : 63 / XVII(1)-2/2005-06(03) / 2004

प्रेषक,

एस. के. मुट्टू,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-2. देहरादून, ~~ मार्च 2005

विषय : विकलांग जन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न योजनाओं के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 में विकलांग जन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु बजाज इस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, 155, राजपुर रोड, देहरादून में राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना के लिए रूपये 19.60 लाख (रूपये उन्नीस लाख साठ हजार मात्र) व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त धनराशि बजाज इस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, 155, राजपुर रोड, देहरादून के साथ औपचारिक रूप से इकरारनामा निष्पादित (एम.ओ.यू.) होने पर ही उनको उपलब्ध कराई जाएगी।

3. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुवल व शासन द्वारा समय-2 पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के 'आयोजनागत पक्ष' के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-11-विकलांग जन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन हेतु योजना का संचालन-20-सहायक अनुदान / अंशदान / राजसहायता" की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

6. उक्त धनराशि के देयक शासनादेश संख्या-3428 / स.क. / 2004-359 / स.क. / 2003, दिनांक 28 फरवरी 2004 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1761 / XXVII(2) / 2004, दिनांक 20 मार्च 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस. के. मुट्टू)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 63(1)/XVII(1)-2/2005–06(03)/2004, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तरांचल।
5. वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
6. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रशासक, बजाज इस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, 155, राजपुर रोड, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौकली)

उपसचिव।